

कार्यालय - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / गौतमबुद्धनगर
पत्रांक / मान्यता / 3087 / 2014-15 दिनांक 24.12.14

प्रबन्धक

सेन्ट हुड कॉन्वेंट स्कूल, दादरी
विकास खण्ड दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण - पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 14.08.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं उपरोक्त विद्यालय को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी कक्षा से कक्षा आठ तक के लिये अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है -

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 08 के पश्चात मान्यता / संबन्धन करने के लिये कोई मान्यता विवक्षित नहीं है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा ।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस - पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा, ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कोपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और बालक या उसके माता - पिता या सरक्षक को किसी भी कारणों से विद्यालय के प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 13 के उपबन्धों का पालन करेगा ।
6. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

M. Nagar
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B.Nagar)

M. Nagar
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B.Nagar)

Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B. Nagar)

ii. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्ययन नहीं किया जायेगा ।

iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास अस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे ।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है और

vii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।


8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है:-


विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	6500 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्रफल	2000 वर्ग मी0
क्रीडास्थल का क्षेत्रफल	शेष क्रीडा स्थल
कक्षाओं की संख्या	25
प्राध्यापक - सहकार्यालय - सहभंडागार के लिये कक्ष	03
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	उपलब्ध है ।
पेयजल सुविधा	उपलब्ध है ।
मिड - डे मील पकाने के लिए रसोई	उपलब्ध है ।
ब्राधारहित पहुँच	है ।

9. पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूल उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी ।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा ।


Principal
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B. Nagar)


Headmistress
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B. Nagar)

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है ।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित-लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।
14. आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें ।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाये ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र / छात्राओं के बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करें।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

[Handwritten Signature]

जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी
मोतिसबुद्धनगर

[Handwritten Signature]
Manager
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B. Nagar)-203207

[Handwritten Signature]
M. nager
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B. Nagar)

[Handwritten Signature]
Principal
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B. Nagar)

[Handwritten Signature]
Manager
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B. Nagar)

[Handwritten Signature]
Principal
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B. Nagar)

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असाहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया विधितंत्र प्रारंभ पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिकोण से अधिक माल्यता सीमा के लिए दी जायेगी। इस अवधि में माल्यता की सीमा को उल्लंघन से संयोजित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो सीमा की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी माल्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बै0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

2021/

आज्ञा से,

2021/01/13
(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।


Principal
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Park City Road
Dadri (G.B. Nagar)


Manager
Saint Hood Convent School
Dadri (G.B. Nagar)-203207
Saint Hood Convent School
Dadri (G.B. Nagar)-203207